

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(7)कार्मिक/क-4/2013

जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-28बी के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2006-07

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2006-07 की रिक्तियों में श्री घनश्याम लाल शर्मा को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2006-07 की चयन सूची में श्री कमलेश आबूसरिया के ऊपर जोड़ा जाता है। सामान्य वर्ग के कनिष्ठतम अधिकारी श्री नन्दकिशोर स्वर्णकार का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2007-08

श्री नन्दकिशोर स्वर्णकार को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2007-08 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2007-08 की चयन सूची में श्री हरिसिंह लम्बोरा के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री घनश्याम लाल शर्मा का नाम वर्ष 2007-08 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पारिणामिक प्रभाव

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2012-13

श्री घनश्याम लाल शर्मा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2012-13 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची में श्री कमलेश आबूसरिया के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री नन्दकिशोर स्वर्णकार का नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2013-14

श्री नन्द किशोर स्वर्णकार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2013-14 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची में श्री आशाराम डूडी के ऊपर जोड़ा जाता है।



## चयन वेतन श्रृंखला में पारिणामिक प्रभाव

### चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16


श्री घनश्याम लाल शर्मा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2015-16 की चयन सूची में श्री कमलेश आबूसरिया के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री नन्दकिशोर स्वर्णकार का नाम वर्ष 2015-16 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

### चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17

श्री नन्दकिशोर स्वर्णकार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची में श्री आशाराम डूडी के ऊपर जोड़ा जाता है। सामान्य वर्ग के कनिष्ठतम अधिकारी श्री चन्दगीराम झाङ्गड़िया का नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।


उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान प्रद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(4)कार्मिक/क-4/2013

जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014-15

श्री राजीव आचार्य को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014-15 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2014-15 की चयन सूची में श्री रामचन्द्र पोटलिया के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री मदन लाल को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014-15 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2014-15 की चयन सूची में श्री मोहनलाल वर्मा (अजा) के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री मदन लाल का नाम वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन श्रृंखला में पारिणामिक प्रभाव


चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17

श्री राजीव आचार्य को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची में श्री दयानन्द शर्मा के नीचे एवं श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री अशोक कुमार पुरसवानी का नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

श्री मदनलाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2016 से पूर्व रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके प्रकरण में विचार नहीं किया गया।


उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**कार्मिक (क-4) विभाग**

क्रमांक : प. 4(4)कार्मिक/क-4/2016

जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

**आज्ञा**

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	विवरण (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)
1.	देवेन्द्र कुमार जैन	भगवत सिंह राठौड़ के नीचे एवं राजेन्द्र सिंह चारण के ऊपर
2.	चन्द्रभान सिंह भाटी	उदयभानु चारण के नीचे एवं मधु रघुवंशी के ऊपर
3.	सैय्यद मुकर्रम शाह	कैलाश चन्द के नीचे
4.	हनुमान सिंह गुर्जर	सैय्यद मुकर्रम शाह के नीचे एवं इन्दाराम मेघवंशी के ऊपर
5.	अशोक सेंगवा	विनय पाठक के नीचे एवं अशोक कुमार-चतुर्थ के ऊपर
6.	गोपाल सिंह	नरेन्द्र कुमार थोरी के नीचे एवं आकाशदीप अरोड़ा के ऊपर
7.	बीना महावर (अजा)	नसीम खान के नीचे एवं सुमन पंवार के ऊपर
8.	लोकेश कुमार मीणा (अजजा)	सुमन पंवार के नीचे एवं अनुपम कायल के ऊपर
9.	रामकिशोर मीणा (अजजा)	रामचन्द्र के नीचे एवं वन्दना खोरवाल के ऊपर
10.	संतोष करोल (अजजा)	दीप्ति रामचन्द्र के नीचे
11.	मनोज कुमार	संतोष करोल के नीचे सना सिद्दकी के ऊपर
12.	मोहम्मद सलीम खान	सोविला माथुर के नीचे
13.	संजय कुमार-1	मोहम्मद सलीम खान के नीचे
14.	दीपेन्द्र सिंह राठौड़	संजय कुमार-1 के नीचे एवं भावना गर्ग के ऊपर
15.	प्रभा व्यास	राकेश कुमार-1 के नीचे एवं ज्योति ककवानी के ऊपर
16.	अशोक कुमार योगी	रविन्द्र कुमार शर्मा के नीचे
17.	महिपाल कुमार	अशोक कुमार योगी के नीचे एवं राधेश्याम डेलू के ऊपर
18.	अंजुम ताहिर सम्मा	राजवीर सिंह चौधरी के नीचे एवं सुदर्शन सिंह तोमर के ऊपर

*(Handwritten Signature)*

19.	मुकेश कुमार कलाल		सुदर्शन सिंह तोमर के नीचे
20.	अम्बा लाल मीणा	(अजजा)	मुकेश कुमार कलाल के नीचे एवं रेखा सामरिया के ऊपर
21.	अशोक कुमार सांखला	(अजा)	धारा सिंह मीणा के नीचे
22.	नरेन्द्र कुमार वर्मा	(अजा)	अशोक कुमार सांखला के नीचे
23.	मीनाक्षी मीणा	(अजजा)	नरेन्द्र कुमार वर्मा के नीचे एवं प्रतिभा देवठिया के ऊपर
24.	शक्ति सिंह भाटी		अशोक कुमार मीणा के नीचे एवं महावीर प्रसाद नायक के ऊपर

निम्नांकित अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण यथावत डेफर किये जाते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)
1.	मुकेश कायथवाल
2.	पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत
3.	उत्तम सिंह शेखावत
4.	सत्यनारायण आभेटा
5.	चिमनलाल मीणा (अजजा)
6.	बलवन्त सिंह लिग्री
7.	शौफाली कुशवाहा

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(2)कार्मिक/क-4/2012

जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2012-13

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2012-13 की रिक्तियों में श्री गंगासहाय मीणा (अजजा) को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री हरसहाय मीणा के नीचे एवं गजेन्द्र सिंह राठौड़ के ऊपर जोड़ा जाता है।


श्री रामजीलाल वर्मा (अजा) के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी जाती है।

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2013-14

श्री लक्ष्मीकांत बालोत (अजजा) को चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2013-14 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची में श्री जुगल किशोर मीणा के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री गंगासहाय मीणा (अजजा) का नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।


उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(3)कार्मिक/क-4/2014


जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह (अजजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2014-15 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री वीरेन्द्र सिंह का नाम चयन सूची में श्री कालूराम के नीचे तथा श्रीमती निशा मीणा के ऊपर जोड़ा जाता है।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।


राज्यपाल महोदय, की आज्ञा से,



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(3)कार्मिक/क-4/2015

जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16


राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16 की रिक्तियों में श्री नरेन्द्र पाल सिंह को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम दीप्ती शर्मा के नीचे एवं महेन्द्र सिंह-1 के ऊपर जोड़ा जाता है। सामान्य वर्ग के कनिष्ठतम् अधिकारी श्रीमती प्रभा गौतम का नाम वर्ष 2015-16 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17

श्रीमती प्रभा गौतम को चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। इनका नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची में श्री आशीष कुमार शर्मा के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री नरेन्द्र पाल सिंह का नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(3)कार्मिक/क-4/2016

जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2017

आज्ञा


राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्रीमती नीतू बारूपाल (अजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्रीमती बारूपाल का नाम चयन सूची में श्री राजवीर सिंह यादव के नीचे एवं श्रीमती रंजीता गौतम के ऊपर जोड़ा जाता है।

निम्नांकित अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण यथावत डेफर किये जाते हैं :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	अबु सूफियान चौहान
2.	प्रदीप बालाच (अजा)


उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव